अध्याय–5

निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं का सार

अध्याय 5 – निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं का सार

5.1 निष्कर्ष

देश में हाइड्रोकार्बन की मांग, घरेलू कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन से अधिक है। इस मांग को ध्यान में रखते हुए जी.ओ.आई. ने 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) लागू करके अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र को खोल दिया। यह नीति अन्वेषण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय तेल कम्पनियों पर लागू समान वित्तीय एवं अनुबंध शर्तों को निजी क्षेत्र को देकर समान खेल अवसर–क्षेत्र देती है।

एन ई एल पी के अंतर्गत, सरकारी और निजी या सार्वजनिक कम्पनी, चाहे घरेलू या विदेशी, एक उत्पादन सहभाजन अनुबंध (पी एस सी) करती है। पैट्रोलियम परिचालन, लागत वसूली, मुनाफा सहभाजन एवं अन्य पहलूओं के लिए आधार विशिष्ट फील्डस/ब्लॉकस का पी एस सी है। इसके अतिरिक्त, खोजे गए फील्ड/अन्वेषण ब्लॉक के पी एस सी से संबंधित नियामक जवाबदेहीयाँ, निवेश के प्रोत्साहन एवं अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों की निगरानी इत्यादि की जिम्मेदारी डी जी एच को दी गई है।

पी एस सी की हुई वर्तमान लेखापरीक्षा, जो यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि जी.ओ.आई. के राजस्व हित उचित रूप से रक्षित हुए और निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली पी एस सी के प्रावधानों को अनुपालन कराने में प्रभावी है, ने प्रबंध एवं एग्रीमेंट दायित्व निभाने के क्षेत्र में कमियों को प्रकट किया है।

नियामक जवाबदेही पूरे करने के तरीके में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में लेखापरीक्षा परीक्षण ने यह उद्धारित किया कि पी एस सी रिजिम एवं इसके कार्यान्वयन को मजबूत करने की गुंजाइश है जिनसे प्राकृतिक संसाधनों के मौलिक के रूप में जी.ओ.आई. के हितों की उचित रूप से रक्षा की जाए। बजट और विकास योजना का समय पर अनुमोदन, हाइड्रोकार्बनस के मूल्यांकन में जी. ओ.आई. के कार्यकुशल निर्णय लेने, वाणिज्यिक अनुबंध हस्ताक्षर करने इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विलंब चिंता की बात है।

अनुबंध क्षेत्र खाली करने, खोज के व्यवहार्यता की घोषणा एवं मूल्यांकन एवं इसकी वाणिज्यिकिता, जोखिम साझा करने, विकास योजनाओं का अनुमोदन, वर्तमान पी एस सी मॉडल के कुछ क्षेत्र है जिन पर विवेचनात्मक समीक्षा एवं बुद्धिसंगतता की आवश्यकता है जिससे कि कोई अस्पष्टता या अधूरापन न रहे। प्राप्ति एवं सेवा अनुबंध को लागू करने में कमियाँ पाई गई जिसके कारण हमें लागत वसूली की अस्वीकृति और/या अतिरिक्त आय की स्वीकृति की अनुशंसा करनी पड़ी। **(के जी–डी डब्ल्यू एन–98/3 ब्लॉक)**

लेखापरीक्षा ने पी एम टी जे वी में, प्राप्ति एवं सेवा अनुबंधों के प्रदान एवं अनुमोदन में, उत्पादन इनवेन्ट्री को लेखा में दिखाने की प्रक्रिया में एवं पन्ना मुक्ता एवं ताप्ति क्षेत्र में साझा खर्च के आवंटन में कमियाँ पाई। 1994 से आई ओ सी एल के साथ सी ओ एस ए निश्चित नहीं हुआ है। पी एम टी जे वी ने

कनडेनसेट के परिवहन हानि का अभी तक निर्धारण नहीं किया है जैसाकि ओ एन जी सी के साथ दिसम्बर 2005 में हुए सेटलमेंट समझौता में सहमति हुई थी। **(पी एम टी ब्लॉक)**

आर जे –ओ एन–90/1 ब्लॉक के पी एस सी ने प्रदान किया कि जी.ओ.आई. या इसका नामित अनुबंध क्षेत्र से समस्त केच्चे तेल क्रय करने के लिए उत्तरदाई था। जी.ओ.आई. द्वारा नामांकित रिफाइनरियाँ आर.जे. कच्चे तेल को नहीं उठा पायीं। इसके अतिरिक्त पी एस सी में प्रावधान है कि कच्चे तेल हेतु मूल्य निर्धारण पार्टियों के मध्य हुई सहमति के अनुसार एवं जी.ओ.आई. द्वारा किए अनुबंध की शर्तों के अनुसार होगा। फिर भी जी.ओ.आई. द्वारा अभी तक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है जिसके बिना आर जे कच्चे तेल का विक्रय ऑपरेटर एवं क्रेता के मध्य हुए समझौते के अनुसार एक अंतरिम कीमत पर किया जा रहा है। तथापि, जी.ओ.आई. ऑपरेटर के अनुरोध पर सुपुर्दी केन्द्र बारमर से सलाया बदलने के लिए सहमत थी बशर्ते कि जी.ओ.आई. अनेक पी एस यू रिफाइनरिओं को नामित करे और गुजरात में बारमर से सलाया तथा सलाया से भोगट (गुजरात में) पाईप लाईन बिछाए। पाईप लाईन के बिछाने में विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप पाईप लाईन की लागत 1108 मिलियन यू.एस. डॉलर बढ गई (मार्च 2013) जिसकी निर्धारित लागत 941 मिलियन यू.एस. डॉलर थी **(आर जे–ओ एन–90/1 ब्लॉक)**

5.2 अनुशंसाओं का सार

- एम ओ पी एन जी/डी जी एच, डब्ल्यू पी और बी एवं वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों की भविष्य में सामयिक स्वीकृति के लिए कार्य करे एवं लंबित स्वीकृतियों का त्वरित करे।

- एम ओ पी एन जी यह सुनिश्चित करे कि यू.एस. डॉलर 160.81 मिलियन की तीन कुँओं की अस्वीकृत लागत की वसूली हो।

- पी एस सी के प्रावधानों के संदर्भ में, जुलाई 2006 में खोज क्षेत्र को एम सी की स्वीकृति एवं जुलाई 2008 का एम ओ पी एन जी का निर्णय (फरवरी 2009 में प्रेषित), जुलाई 2006 के बाद खोज क्षेत्र में ब्लॉक में वाणिज्यिक खोज के आय के जोखिम पर अतिरिक्त अन्वेषण गतिविधियाँ (जिनमें यू.एस. डॉलर 427.03 मिलियन के खर्च पर आठ अन्वेषण कुँओं और छः मूल्यांकन कुँओं की ड्रीलिंग शामिल थी) अनुचित रूप से कार्यान्वित की गई।
    - साधारणतया यू.एस. डॉलर 427.03 मिलियन की पूरी रकम अस्वीकृत होनी चाहिए क्योंकि ये गतिविधियाँ पी एस सी प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। हालांकि, व्यवहारिक रूप से, यह ध्यान में रखना चाहिए कि अन्वेषण के परिणामतः वाणिज्यिक खोज जोकि डी.34 हुई जिसके लिए एक विकास योजना पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी। तीन अन्य मामलों में जोकि डी.29, डी.30 एवं डी.31 खोजों में, वाणिज्यिकता की समीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी।
    - इस चरण पर, राष्ट्रीय हित एवं ऊर्जा सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि एम ओ पी एन जी को केवल उन्हीं उपरोक्त कुँओं पर हुए

अन्वेषण लागत का साझा स्वीकार करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक खोज हुए है और अन्य कुँओं पर ऑपरेटर द्वारा पहले ही कर ली गई यू.एस. डॉलर 118.99 मिलियन की लागत वसूली को अस्वीकार कर देना चाहिए। डी.29, डी.30 एवं डी.31 खाजों के कुँओं की लागत के संबंध में चूंकि डी ओ सी से संबंधित मामला एम ओ पी एन जी में विचाराधीन है, अस्वीकृति के लिए उन पर भी विचार किया जाना चाहिए यदि वे बाद में वाणिज्यिक रूप से फलदायक नहीं होते हैं।

- एम ओ पी एन जी खोजों के व्यवसायिक मूल्यांकन के लिए निरन्तर एवं एक समान मापदंडों को विकसित करे तथा एफ डी पी की तकनीकी–आर्थिक विशलेषण के मापदण्ड तय करे।

- एम ओ पी एन जी भण्डार अनुमानों पर कॉन्ट्रेक्टर व डी जी एच के भिन्न मतों को हल करने के लिए शीघ्र कदम उठाए एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए यथोचित कार्यवाई करे।

- मूल्य निर्धारण और कच्चे तेल और कन्डनसेट के बिक्री से संबंधित पी एस सी प्रावधानों का पालन किया जाए एवं मूल्य निर्धारण और कच्चे तेल और कन्डनसेट की बिक्री पर निर्णय अविलंब लिया जाए।

- एम ओ पी एन जी, पी एस सी में लेखांकन प्रक्रिया की धारा 1.9 के तहत यू.एस. डॉलर 690.70 मिलियन लगभग मात्रा के लेखापरीक्षा अपवादों को जारी करने का विचाार करे–व्यय से संबंधित मुद्दों (यू.एस. डॉलर 386.83 मिलियन) राजस्व मुद्दों (यू.एस. डॉलर 250.93 मिलियन) व लेखांकन मुद्दों (यू.एस. डॉलर 52.94 मिलियन) के जी डी डब्ल्यू एन–98/3 ब्लॉक के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा दी गई विशिष्ट राय जारी करने पर पर विचार करें।

- समान व्यय तर्कसंगतया आधार पर उचित रूप से पन्ना–मुक्ता व ताप्ति क्षेत्रों को आवंटित किया जाना चाहिए अर्थात एक विशिष्ट कॉंट्रैक्ट क्षेत्र से संबद्ध वास्तविक व्यय या प्राथमिक गतिविधि पर हुए व्यय के अनुपात में।

- पी एम टी जे वी यह सुनिश्चित करे कि उत्पादन सामग्री–संग्रह लेखों में तभी चढ़ाया जाये जब ऐसा माल सामग्री संग्रह से हटा दिया गया हो व पैट्रोलियम ऑपरेशनों में उपयुक्त हुआ हो जैसा पी.एस.सी में प्रबंध है।

- जी.ओ.आई. विवादास्पद मुद्दों को हल कर के आई ओ सी एल और पी एम टी जे वी के बीच सी ओ एस ए का शीघ्र निष्कर्ष सुनिश्चित करे।

- पी एम टी जे वी जी.ओ.आई. को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी, निकालते समय यह सुनिश्चित करे कि वेलहेड मूल्य की गणना करने के लिए पैट्रोलियम प्रचालन के लिए सभी सुविधाओं (प्री वेल हेड एवं पोस्ट वेल हेड गतिविधियाँ) पर विचार कर लिया गया है एवं कैपेक्स के एमौरटायजेशन के लिए उन्नत रिजर्व पर विचार कर के जी.ओ.आई. को देय

रॉयल्टी की गणना कर ली गई है एवं अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान जी.ओ.आई. को कर दिया है।

- आर जे ब्लॉक के ऑपरेटर को पी एस सी प्रावधानों के अनुसार लागत वसूली कार्यन्वित करनी चाहिए क्योंकि इस संबंध में किसी प्रकार का विचलन जी.ओ.आई. को किए जाने वाले पी पी भुगतान पर प्रभाव डालेगा

- जी.ओ.आई. को आर जे कच्चे तेल की कीमत शीघ्रता से निश्चित करना चाहिए जिससे कि पी पी, रायल्टी, आदि की गणना निश्चित आधार पर की जा सके।

(आनन्द मोहन बजाज)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

दिनांक: 12 अगस्त 2014
स्थान:- नई दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक

दिनांक: 13 अगस्त 2014
स्थान:- नई दिल्ली